

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2497/2014**

गोबरे और 4 अन्य

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : शमशाद अहमद खान

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रमेश प्रताप सिंह

**न्यायालय संख्या - 12****माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अ.शा.अ. के निवेदनों को सुना नोटिस मिलने के बावजूद, विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
2. यह प्रार्थना पत्र आपराधिक वाद संख्या 4204/2011, (सरकार बनाम अली अहमद और अन्य), जो प्र.सू.रि. संख्या 401/2011, थाना कोतवाली नगर, जिला गोंडा से उत्पन्न हुआ है, की सम्पूर्ण कार्यवाही को रद्द करने और साथ ही 24.10.2013 के उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया, जिसके तहत प्रार्थीगण का आरोप से अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।
3. संक्षेप में मामले के मुख्य तथ्य ये हैं कि 04.05.2011 को एक प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि गाटा संख्या 854 वाली सम्पत्ति झाड़ू, सुल्तान, बिस्मिल्ला और मंगरे की संयुक्त संपत्ति थी और वे अपने-अपने हिस्से में रह रहे थे। यह भी आरोप है कि बाद में, अंशधारकों ने अपनी-अपनी सम्पत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया। साल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2001 में, बिस्मिल्ला के पोते ने अपनी सम्पत्ति का 17 बिस्वा अंश अब्दुल को बेच दिया; राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हो गया और उसने खेती का काम जारी रखा। यह भी आरोप है कि विधिक उत्तराधिकारियों की मृत्यु के बाद, कुछ सम्पत्ति बेची गई और उनका भी नामान्तरण हुआ। 04.04.2000 को, जब शिकायतकर्ती अपनी सम्पत्ति पर निर्माण कार्य के लिए खुदाई कर रही थी, तो अभियुक्तगण लाठी-डंडे लेकर आए और उसे धमकी दी, साथ ही कहा कि सम्पत्ति का आधा हिस्सा अली अहमद का है। यह भी आरोप लगाया गया कि अली अहमद ने सम्पत्ति को अपनी बताकर अपने पक्ष में नामान्तरण में हेरफेर किया था। कुल मिलाकर, आरोप यह है कि अली अहमद ने राजस्व अभिलेखों में हेरफेर किया है और अब वह शिकायतकर्ती को परेशान कर रहा है और निर्माण कार्य में बाधा डाल रहा है।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्र.सू.रि. असल में विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें लगाए गए आरोप दीवानी प्रकृति के हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण ने एक दीवानी वाद भी दायर किया था, जिसमें 11.02.2018 को उनके पक्ष में एकपक्षीय निर्णय सुनाया गया था। जिसके विरुद्ध एक पुनर्विचार प्रार्थना पत्र भी दायर किया गया था उसे खारिज कर दिया गया। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि जब दीवानी वाद में अधिकार तय हो चुके हैं, तो मामले का फैसला होने के बाद दर्ज की गई प्र.सू.रि. विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग ही है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि बिना किसी ठोस साक्ष्य या सामग्री के आरोप-पत्र दायर कर दिया गया। साथ ही, यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण ने आरोप से अवमुक्त करने का प्रार्थना पत्र दायर किया था, उसे भी खारिज कर दिया गया।
5. विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों और उस प्र.सू.रि. का अवलोकन करने से स्वतः स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण, शिकायतकर्ती के प्रस्तावित निर्माण कार्य में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर एकमात्र आरोप राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करने का लगाया गया था, जिसका फैसला केवल दीवानी प्रक्रिया के ज़रिए ही किया जा सकता है। असल में, उस मुकदमे का फैसला प्रार्थीगण के पक्ष में हुआ था। ऐसा कोई साक्ष्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं है जिससे यह पता चले कि प्रार्थीगण ने आरोपों के अनुसार राजस्व अभिलेखों में कोई हेरफेर किया था। आरोप-पत्र में भी भा.दं.सं. की धारा 467 और 471 के तहत अपराध किए जाने का संकेत देने वाले किसी साक्ष्य का जिक्र नहीं है। प्रार्थीगण को धारा 419, 420, 464 या अन्य धाराओं के तहत अधिरोपित करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। साफ़ तौर पर, एक दीवानी विवाद को बिना किसी साक्ष्य के आपराधिक मामला बना दिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है; इसके अलावा, दीवानी पुनर्विचार प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया है। इसलिए, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि शुरू की गई सम्पूर्ण कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है।

6. उपरोक्त निवेदनों और जैसा कि 'हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल' 1992 एस.सी.सी.(क्रि.) 426 मामले में उद्धृत कानून के आधार पर, प्र.सू.रि. संख्या- 401/2011 थाना- कोतवाली नगर, जिला गोंडा से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 4204/2011 (राज्य बनाम अली अहमद और अन्य) की प्रार्थीगण के विरुद्ध चल रही सम्पूर्ण कार्यवाही रद्द की जाती है।
7. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति, पंकज भाटिया)

17 मार्च, 2026

ए.के. वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।